permission. Nanuma t

Tishing .

कार्यालय अधिशासी अमियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

मुरादाबाद

पत्रांकः । **। ५२९** / अनुमति–प्रा० / २० सेवा में

दिनॉक : **\8.6. 2020**

बन्धक
ोरेंट गैस प्राoलिo,
रादाबाद ।

विषय :--

पुराना एन0एच0—24 के चैनेज 160.050 से 164.100 कि0मी0 कुल लम्बाई 4.050 कि0मी0 में गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-- आपका पत्रांक-TGPL/GA83/2019-20/MB/12 Dated 05-06-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाईप लाईन डालने हेतु टोरेंट गैस प्राoलिo मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रौंक :--697/प्राo दिनॉक :--17--02--2020 द्वारा जारी किये गये माँग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू0 1092592.00 (दस लाख बयानवे हजार पॉस सौ बयानवे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या--006165 दिनांक 05.06.2020 एवं रू0 4050.00 (चार हजार पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या--006166 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

9000	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	2	3
प्रतितन्त	पुराना एन0एच0—24 के चैनेज 160.050 से 164.100 कि0मी0 कुल लम्बाई 4.050 कि0मी0	4.050

प्रातबन्ध यह है कि :-

- गैस पाइप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लोoनिoविo की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
- 2. गैस पाइप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ (इंटरलॉकिंग टाईल्स) को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
- रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना/हादसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग/एजेन्सी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय/ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
- मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट/ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रासिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
- 7. भविष्य में मार्ग के चौडीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाईप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
- 8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।

9. उपरोक्त शर्तों के अनुरुप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये। संलग्नक :- प्रकरण मूल में।

अधिशासी अमियन्ता. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रादाबाद

दिनॉक :

पत्रांकः / अनुमति–प्रा0 / 20

<u>प्रतिलिपिः</u>—

<u>१९१४ - --</u> १. सहायक अभियन्ता—षष्ठम, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।



अधिशासी अमियन्ता. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मुरादाबाद

699

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद

पत्रॉकः—	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद। 83/ प्रा०वर्ग/20-21
सेवा गें,	दिनॉक :- 13/01/2021
	Assistant Manager, Torrent Gas Pvt. Ltd, C/o Torrent Gas Moradabad Ltd. CNG Station, Village Dhannupura, 14 Km Stone, NH-24, Moradabad.
विषय ∶—	Permission for Laying 6" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline Network along and across the Roads in Moradabad Under city Gas Distribution Project of Torrent Gas.
सन्दर्भ :	Your Letter No. TGPL/ADMS/GA-83/2020-21/12/MB/164 Dated 12-12-2020
	उपरोक्त विषयात मार्ग प्रा प्रा कि २२२ र र र र र र र र २२

विषयगति माग पर पाईपलाईन बिछाने हेतु संलगन मानचित्र के अनुसार पाईपलाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई
	Permission for Laying 6" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline Network along and across the Roads in Moradabad Under city Gas Distribution Project of Torrent Gas. (Moradabad-Sambhal Road SH-148, Ch. 6.180 to 16.140) Total Length 9.960 Km.	9.960 Km.

प्रतिबन्ध यह है कि :--

कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे से न्यूनतम 2.00 मी0 छोडकर कच्चे भाग में किया जायेगा। 1.

- समस्त कार्य मार्ग के कच्चे भाग में एवं क्रासिंग इत्यादि पर एच0डी0डी0 मशीन/ओपन ट्रेन्च द्वारा ही कराया जाये। 2.
- खोदे जा रहे गड्ढे के चारो ओर बेरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये। 3.
- कच्चे भाग में जहाँ भी पिट्स खोदे जायें उनको कार्य उपरान्त तत्काल भली प्रकार मिट्टी से लो०नि०वि० की विशिष्टियों के 4. अनुरूप कुटाई कर बन्द कर दिया जाये, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे।
- कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से लाल झण्डी, बेरिकेटिंग टीन, बैरियर एवं आवश्यक सूचना पट इत्यादि का समुचित प्रयोग 5. किया जाये। किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी लो०नि०वि० की नहीं होगी।
- कार्य करते समय अन्य विभाग की केबिल/विद्युत खम्बे/भूमिगत पाईप लाईन/गैस लाईन/भूमिगत विद्युत लाईन इत्यादि 6. क्षतिग्रस्त न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए, जिसके लिए लो०नि०वि० का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।
- कार्य के दौरान यातायात में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो इसकी समुचित व्यवस्था की जाये।
- 7.
- मार्ग की लेपित सतह को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त न किया जाये। भविष्य में मार्ग के चौडीकरण के समय आपकी पाईपलाईन के क्षतिग्रस्त होने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा 8. 9.
- चौडीकरण के दौरान पाईपलाईन आपको स्वंय के खर्चे से शिफ्ट करानी होगी। यदि इस सरेखण में कोई भूमि वन विभाग अथवा अन्य विभाग के स्वामित्व में आती है तो सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेना 10.
- 11. उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न होने की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तुरन्त बन्द करा दिया जायेगा।
- यदि कार्य उपरान्त पटरी/लेपित मार्ग की मरम्मत सन्तोषजनक रूप से नहीं की जाती है तो मरम्मत का कार्य डेबिडेबिल 12. शासनादेश के अनुसार अन्य सभी शर्ते मान्य होंगी। पान नगप उन्होंने नहीं हैं। से प्रकार हुए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की वसूली आप से कर ली जाएगी। आप द्वारा एजेन्सी द्वारा करा लिया जाएगा एवं इस प्रकार हुए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की वसूली आप से कर ली जाएगी। आप द्वारा 13.
- इजात्ता द्वारा करा ।लया जाइना इय इस त्रम्य इर निर्णा मान्य ने राजपूर्ण नय मतूला जाम त्र कर ला जाएगा। आ जमा की जा रही जमानत की बैंक गारण्टी मार्ग के प्रमारी अभियन्ता की निरीक्षण आख्या उपरान्त ही वापस की जाएगी। अन्य भग भग भग भग ने जाने के उपरान्त डाली गयी पाईपलाईन का वास्तविक ले-आउट इस कार्यालय को उपलब्ध कुरान्। 14. कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त डाली गयी पाईपलाईन का वास्तविक ले-आउट इस कार्यालय को उपलब्ध कुरान्। अनिवार्य
- डाली गयी पाईपलाईन के ऊपर 500-500मी0 के अन्तराल पर सांकेतिक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
- 15. उपरोक्तानुसार ।

संलग्न :--

अधिशासी अभियन्ती नग्रींग खण्ड—1, लो०नि०वि०, भुरादाबाद।

/ 2020

दिनॉक :--

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या शून्य, दिनांक 06.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। प्रांतालापं जिलाधिकारा महादय, मुरादाबाद का जाय पूर्व राज्य पूर्व, प्रांतर ७०.१०.२०२० क क्रम म सूचनाथ प्रार्षत। प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता—द्वितीय, निर्माण खण्ड—1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में पत्रॉकः-1.

- सूचनाथ एव आवश्यक कावपाल ९५ गाया। प्रतिलिपि खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड—1, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या प्रातालाप खण्डाय काशयर, ानमाण खण्डना, साम गण्ड, उत्तरान से से पाय प्राय भाषा का डमाण्ड ड्राफ्ट सख्या 006368, दिनांक 20.11.2020, धनराशि रू० 9960/- (रू० नौ हजार नौ सौ साठ मात्र) राजकीय कोष में जमा करने हेतु एवं 2. 006368, ादनाक 20.11.2020, वनसार, १० विनाक 04.12.2020, धनराशि रू० 9,96,000/- (रू० नौ लाख छियानवे हजार बैंक गारण्टी संख्या OGT0009200049203 दिनाक 04.12.2020, धनराशि रू० 9,96,000/- (रू० नौ लाख छियानवे हजार 3.

मात्र) को सुरक्षित रखने हेतु।

E:\metting\General letter.doc



अधिशासी अभियन्ता निर्माण, खण्ड-1, लो०नि०वि०, ्तार/भुरादाबाद।

मा पटेल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मारत सरकार) National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India) ए−54, आशियाना फेज−1 (निकट ढाप का मन्दिर), काँठ रोड, मुरादाबाद – 244 001 (उ० प्र०) A-54, Ashiana Phase-I (Near Dhap Mandir) Kanth Road, Moradabad - 244 001 (U.P.)



14011/2/2019/Torrent Gas/NH-24/PIU-MBD/22)45

Date: 20.03.2021

ດ

Tel. : 059 Fax : 05

email : r

Mr. Kalpesh Pordar

Assistant General Manager M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., C/o Siti Energy Ltd., CNG Station Village-Dhanupura, 14 KM Stone NH-24 Moradabad-244001 (UP)

- Sub:- Proposal for NOC permission for laying of TGPL Underground Gas Pipe of 8" (200mm) Carbon Steel Pipeline from Km 168.300 to Km 174.900 (Dilari to Munda Pande) towards (Lucknow Road) and Crossing at Town locations at Ch. 166.200 & Ch. 144.300 under NH-9 (Old NH-24) Laxmipur Katai Near Gopalji Filling Station and Dhanupura Village Near CNG Station on NH-9 (Old NH-24) in the State of Uttar Pradesh.
- Ref:- (i) Your letter no. TGPL/GA-83/2020-21/MB/2 dated 09.07.2020 (ii) This office letter no. 21790 dated 11.01.2021 (iii) Your letter no. TGPL/CGD/GA-83/2021/MB/202 dated 02.03.2021.

Sir,

This is in reference to the letters under reference (i) to (iii) on the above mentioned subject.

In this regard, the NOC is hereby granted upon compliances submitted vide your letter 2. under reference (iii) for execution of the said work strictly as per the condition laid down in the agreement and the above referred letter of this office under reference (ii). The copy of the signed agreement is enclosed herewith.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Mohd. Khalid) Project Director

Copy to: Project Head, M/s MBEL, Moradabad for information.



16/21 प्रभाषीय निदे सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मारत सरकार) National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)





ए—54, आशियाना फेज—I (निकट ढाप का मन्दिर), कौंठ रोड, मुरादाबाद – 244 001 (उ० प्र०) A-54, Ashiana Phase-I (Near Dhap Mandir) Kanth Road, Moradabad - 244 001 (U.P.)

14011/2/2019/Torrent Gas/NH-24/PIU-MBD/21966

Date :17.02.2021

Mr. Kalpesh Pordar

Assistant General Manager M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., C/o Siti Energy Ltd., CNG Station Village-Dhanupura, 14 KM Stone NH-24 Moradabad- 244001 (UP)

- Sub:- Proposal for NOC permission for laying of 12" Dia Carbon Steel Pipeline from Machhariya Ring Road to Kalyanpur Km 158.4000 to 160.540 (2.140km approx), from Kalyanpur Village towards Delhi (Lucknow Road) Km 0.000 (60 mtr. Approx.), from Moradabad Bypass to Dilari towards (Lucknow Road) Km 165.800 to Km 168.300 (2.50 km Approx.) and crossing at one location under NH-9 (Old NH-24) Kalyanpur Village at Ch. 160.540 (0.060 km Approx.) of 8" Dia Carbon Steel Pipeline from Moradabad Bypass Road to Dilari towards (Lucknow Road) on NH-24 in the State of Uttar Pradesh.
 - Ref:- (i) Your letter no. TGPL/GA-83/2020-21/MB/01 dated 02.07.2020 (ii) This office letter no. 21792 dated 11.01.2021 (iii) Your letter no. TGPL/CGD/GA-83/2021/MB/192 dated 09.02.2021.

Sir,

This is in reference to the letters under reference (i) to (iii) on the above mentioned subject.

2. In this regard, the NOC is hereby granted upon compliances submitted vide your letter under reference (iii) for execution of the said work strictly as per the condition laid down in the agreement and the above referred letter of this office under reference (ii). The copy of the signed agreement is enclosed herewith.

Encl: As above

Yours faithfully, (Mohd. Khalid) **Project Director**

Copy to: Project Head, M/s MBEL, Moradabad for information.

(कन्हें प्रमागीय निदेशक प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद

UNDERTAKING

Torrent Gas Private Limited, Moradabad submitted application in NH division office and Railway DRM office to obtain necessary approval to lay Underground gas pipeline along and across the (NH 09,NH 509 & NH 734) Road and Railway Line. We stated that our proposals are under progress and copy of final approval will be submitted/ uploaded shortly.

ARE Prabhash Kumarc Manager

Torrent Gas Private Limited Moradabad

सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद

